संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन / U.T. Administration of Daman & Diu राजभाषा विभाग, सचिवालय / Rajbhasha Vibhag, Sachivalay दमण / Daman-396 220

संख्या. राभा.1(5)/ क.हि.अनु.-भर्ती नियम/भाग-4/97-11/ 107

दिनांक 🚁 /06/2011

अधि सूच ना

प्रशासक, दमण एवं दीव एतद्द्वारा संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक एवं उसके साथ पठित भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या.एबी/14017/61/2008-स्थापना(भर्ती नियम), दिनांक 24 मार्च ,2009 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों एवं इस संबन्ध में उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शिक्तयों का प्रयोग करते हुए संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन के राजभाषा विभाग में किनष्ठ हिन्दी अनुवादक, सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', (अराजपित्रत, अलिपिकीय वर्ग,) गैर-संवर्ग पदों की भर्ती से संबन्धित निम्निखित नियम बनाते हैं, अर्थात् -

(1) संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति एवं प्रारम्भ :

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन राजभाषा विभाग, वर्ग-ख,(अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय) कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक पदों का भर्ती नियम, 2011 है।
- (ii) ये नियम इस नियमावली की अनुसूची (जिसे बाद में 'उक्त अनुसूची' के रूप में उल्लेख किया जाएगा) के स्तम्भ- 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए प्रयुक्त होंगे और ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।
- (2) <u>पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान</u> : इससे संबद्ध पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वही होंगे, जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ- 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- (3) भर्ती पद्धित, आयु सीमा एवं अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा एवं अन्य अर्हताएं और उनसे संबन्धित अन्य बातें वही होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ-5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।
- (4) अनहर्ता : ऐसा कोई व्यक्ति, (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबन्ध किया हो, जिसकी पत्नी / जिसका पित जीवित हो, या (ख) जिसने अपनी पत्नी / अपने पित के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबन्ध किया हो, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के तहत स्वीकार्य हो, और यह कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकते हैं ।
- (5) <u>नियम शिथिल करने की शक्ति</u> : जहाँ प्रशासक, दमण एवं दीव की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वे उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबन्ध में शिथिल कर सकेंगे।
- (6) <u>व्यावृत्ति</u> : इस संबन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं ऐसे ही व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों को दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

प्रशासक, दमण एवं दीव के आदेश एवं नामानुसार प्रिम्ला दर्गनी (पी. एस. जानी) संयक्त सचिव (कार्मिक)

प्रतिलिपि:

- 1. विकास आयुक्त, सचिवालय, दमण।
- 2. वित्त सचिव, सचिवालय, दमण ।
- 3. प्रबन्ध निदेशक, ओ.आई.डी.सी. एवं सचिव (राजभाषा), दमण एवं दीव ।
- 4. विधि सचिव, सचिवालय, दमण ।
- 5. समाहर्ता, समाहर्तालय, दमण / दीव ।
- 6. सहायक निदेशक(राजभाषा), सचिवालय, दमण ।
- 7. उप निदेशक (योजना),सचिवालय, दमण को इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने एवं कार्यालय रिकॉर्ड के लिए 05 प्रतियाँ उपलब्ध कराने के अनुरोध सहित ।
- ८. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, दमण को इसे सरकारी वेबसाइट में अपलोड़ करने हेतु ।
 - 9. कार्मिक विभाग, दमण की गार्ड फाइल ।
 - 10. कार्यालय प्रति / गार्ड फाइल ।

AD/JHT/ RR/ 6

अनुलग्नक - I

दमण एवं दीव प्रशासन के राजभाषा विभाग में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक पद के लिए भर्ती नियम

अ नु सू ची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड	चयन पद अथवा	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
			वेतन (रूपये.)	गैर-चयन पद	,
1	2	3	4	5	6
कनिष्ठ हिन्दी	05 (पाँच)	सामान्य केन्द्रीय	वेतन बैण्ड- 2	लागू नहीं ।	30 वर्ष से अधिक नहीं । सरकारी कर्मचारियों के लिए इस
अनुवादक	वर्ष,2011	सेवां, वर्ग- 'ख' ,	₹.9,300-34,800	,	संबन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों व
	कार्यभार के अनुसार	(अराजपत्रित,	+		आदेशों के अनुसार आयु सीमा में 05 वर्षों की छूट दी जायेगी ।
	परिवर्तनीय	अलिपिकवर्गीय)	ग्रेड वेतन-4200/-		आयु सीमा निर्धारण हेतु अन्तिम तिथि भारत में निवास कर रहे
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि होगी
					(असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर,
				ý.	नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख
					मण्डल, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के लाहौल एवं स्पीति
	*				जिले एवं पंगी उप मण्डल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप या
					लक्षद्वीप में रहने वालों के लिए आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि
			est 2		अन्तिम तिथि नहीं है।)



00 47 77 47 0 70 70 70	200 200		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
सीधी भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों की अपेक्षित शैक्षिक व अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए	परिवीक्षा अवधि	भर्ती की पद्धति - सीधी भर्ती द्वारा या
	निर्धारित आयु एवं शैक्षिक	यदि कोई हो	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन
	योग्यताएं पदोन्नति के मामले		द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने
	में भी लागू होंगी ।		वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
7	8	9	10
(i) अनिवार्य योग्यता :	लागू नहीं	02 (दो) वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय के			
रूप में रही हो ; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर			
पर हिन्दी मुख्य विषय के रूप में रही हो ; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी			
विषय में अध्ययन / परीक्षा का माध्यम हिन्दी सहित स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य	¥		
विषय रही हो; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी / अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य		·	
विषय में स्नातकोतर एवं स्नातक स्तर पर हिन्दी / अंग्रेजी अनिवार्य / वैकल्पिक विषय के रूप में रही			
हो ; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी एवं अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषयों के साथ			
स्नातक या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम और दूसरी अनिवार्य / वैकल्पिक विषय के रूप			¥
में रही हो ।			·
(ii) हिन्दी से अंग्रेजी में एवं विलोमत: अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा / प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण			
किया हो अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ प्रदेश प्रशासन के कार्यालयों में, जिसके अन्तर्गत भारत			
सरकार की संस्थाएं भी हैं, हिन्दी से अंग्रेजी एवं विलोमत: अनुवाद कार्य में 02 वर्षों का अनुभव हो ।			
वांछनीय : हिन्दी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर संचालन का ज्ञान ।	*		4 2 2

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भरे जाने के मामले में किस ग्रेड़	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो इसका	किन परिस्थितियों में भर्ती करने हेतु कर्मचारी चयन आयोग से		
से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति तथा आमेलन किया जाएगा ।	गठन क्या है ।	परामर्श किया जाना है ।		
11	. 12	13		
लागू नहीं ।	वर्ग-ख, विभागीय चयन् समिति :-	लागू नहीं ।		
	1) वित्त सचिव, दमण एवं दीव, दमण - अध्यक्ष			
	2) प्रबन्ध निदेशक, ओ.आई.डी.सी.,दमण- सदस्य	*		
	3) समाहर्ता, दमण, -सदस्य			
	4) समाहर्ता, दीव - सदस्य			
	5) लेखा निदेशक, दमण - सदस्य			
	6) संबन्धित कार्यालय अध्यक्ष - सदस्य			

AD/JHT/RR/ 7-8

्री २००० (जारी) (पी. एस. जानी) संयुक्त सचिव(कार्मिक)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन / U.T. Administration of Daman & Diu राजभाषा विभाग, सचिवालय / Rajbhasha Vibhag, Sachivalay दमण / Daman-396 220

No. O.L.1(5)/Part-4/Estt/2011/ 107

Dated; 21/05/2011

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso of Article-309 of the Constitution read with the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. AB/14017/61/2008-Estt.(RR), dated 24th March 2009 and all other powers enabling him in this behalf, the Administrator of Daman and Diu hereby makes the following rules relating to recruitment of General Central Service, Group-B. (Non-Gazetted, Non-Ministerial) posts of Non-Common Cadre of Junior Hindi Translator in the Official Language Department under the U.T. Administration of Daman and Diu namely;

Short title, application and commencement: (1)

- These rules may be called the Administration of Daman and Diu Official Language Department Group-B (Non-Gazetted, Non-Ministerial) post of Junior Hindi Translator Recruitment Rules, 2011.
- (ii) These rules shall apply to the posts specified in column-1 of the schedule to these rules (hereinafter called as the said schedule) and they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Number of Posts, Classification and Scale of Pay: (2)

The number of posts, classification of the said posts and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.

Method of Recruitment, Age limit and other qualifications etc. : (3)

The Method of Recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule.

Disqualification: No person (a) who has entered into or contracted a (4)marriage with a person having a spouse living, or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said posts, provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Contd...2/

- (5) <u>Power to relax</u>: Where the Administrator of Daman and Diu is of the opinion that, it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- (6) <u>Savings</u>: Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste and Scheduled Tribes, other Backward Class, Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Administrator of Daman and Diu.

Joint Secretary (Personnel)

Copy to:

- 1. The Development Commissioner, Secretariat, Daman.
- 2. The Finance Secretary, Secretariat, Daman.
- 3. The Managing Director, OIDC and Secretary(Official Language), Daman & Diu
- 4. The Law Secretary, Secretariat, Daman.
- 5. The Collector, Collectorate, Daman / Diu.
- 6. The Assistant Director(Official Language), Secretariat, Daman.
- 7. The Deputy Director(Planning), Secretariat, Daman with a request to Publish it in Official Gazette and send 05 copies for Office record.
- 8. The District Informatics Officer, Daman for uploading in Govt. Website
 - 9. Guard file of Personnel Department, Daman.
 - 10. Office Copy / Guard File.

AD/1(5)/RR/2

ANNEXURE - I

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF JUNIOR HINDI TRANSLATOR

SCHEDULE

					Manager Andrews Control of the Contr
Name of the	No. of posts	Classifications	Pay Band and	Whether	Age Limit for Direct Recruits
post			Grade Pay / Pay	Selection post or	
			Scale	Non-Selection	
			Made with otherwise	post.	
1	2	3	4	5	6
Junior Hindi	05	General Central	Pay Band-2,	Not	Not exceeding 30 years. Relaxable by 05 years for Govt. employees in accordance with the
Translator	(2011)	Services,	Rs.9300-34,800	Applicable	instructions or orders issued by the Central Govt. from time to time. The Crucial date f
	Subject to	Group-B	+		determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from the
6	variation	(Non-Gazetted,	Grade Pay		candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalay
	dependent of	Non-Ministerial	Rs.4200		Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division
	work load.				J& K State, Lahul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district
					Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any	Method of Recruitment – Whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/ Absorption & % of the vacancies to be filled be various methods.
7	8	9	10
Essential	Not Applicable	02 (Two)	By Direct recruitment.
(i) Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a main subject at degree level;		years	
OR Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a main subject at degree level;		150	
OR Master's degree of a recognized University in any subject with Hindi as a medium of instruction and			
examination with English as a main subject at degree level	AD 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000		
OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi/English with Hindi/			
English medium and English / Hindi as compulsory / elective subject at degree level;			
OR Bachelor's degree of a recognized University with Hindi and English as main/elective subject or			
either of the two as medium of examination and the other as a main / elective subject.			
(ii) Recognized diploma / Certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa OR two years			
experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in any Central/State govt./U.T.			
Administration Offices including Govt. of India Institutions.			
DESIRABLE: Knowledge of Computer Operation in both Hindi and English.			

huj

Contd / 2..

In case of recruitment by promotion/ Deputation/ Absorption, grades from which promotion/Deputation/	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.
Absorption to be made.		
11	12	13
Not Applicable	Group 'B' DSC. 1. Finance Secretary, Daman and Diu - Chairman	Not Applicable.
	2. Managing Director, OIDC, Daman - Member 3. Collector, Daman - Member 4. Collector, Diu - Member	Trot rippileasie.
	5. Director of Accounts, Daman - Member 6. Concerned Head of Office Member	

(P S Jani)
Joint Secretary (Personnel)